लेखा · योग

धारा- ११ के अन्तर्गत आयकर से छूट

अङ्क ९१ मई-०३, (अप्रैल- ०४ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

आयकर छूट १

धारा ११ के अन्तर्गत कौन छूट प्राप्त कर सकता है? १

१. लोकोपकारी उद्देश्य १

पुण्यार्थ या विकासात्मक? २

आय-वर्धन कार्यक्रमों का क्या होगा? २

२. न्यूनतम व्यय २

८५ प्रतिशत व्यय करने में असमर्थ? २

वर्ष की अप्राप्त आय ३

दीर्घ-कालिक परियोजना ३

संगृहीत निधि में से अनुदान नहीं। ३

मूलधन (कॉर्पस) के लिए दान ३

आयकर छूट

आयकर छूट से तात्पर्य है, आयकर भुगतान में छूट। इसका यह अर्थ हुआ कि छूट प्राप्त करने वाले सङ्गठन अपनी आय पर आयकर नहीं देंगे।

जनसेवी संस्थाओं तथा लोकोपकारी या धार्मिक सङ्गठनों को आयकर से छूट प्राप्त होती है। इस छूट को प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ उपबन्धों को पूरा करना होता है। ये उपबन्ध छूट की श्रेणी के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

धारा ११ के अन्तर्गत कौन छूट प्राप्त कर सकता है?

धारा ११ के अन्तर्गत छूट सभी जनसेवी संस्थाओं[१] के लिए उपलब्ध है। इस छूट को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अनुबन्धों की पूर्ति होना आवश्यक है :

१. जनसेवी संस्था की स्थापना लोकोपकारी कार्यों के लिए की गई हो। साथ ही इसकी सम्पत्ति किसी न्यास या अन्य विधिक दायित्व के अन्तर्गत धारित की गई हो। अधिकतर जनसेवी संस्थाएँ इस उपबन्ध को पूरा करती हैं।

२. इसे अपनी आय का न्यूनतम ८५ प्रतिशत अपने उद्देश्यों पर व्यय करना होगा। यह उतना कठिन नहीं है जितना प्रतीत होता है। इसके विषय में अलग से विस्तार से चर्चा की गई है।

३. इसे अपना धन अनुमोदित विधि से रखना चाहिए।

४. यदि इसकी आय किसी वर्ष में ५०,००० रुपये से अधिक है तो, इसे अपना अङ्केक्षण प्रतिवेदन 'प्रारूप-१० बी' में देना चाहिए।

५. इसकी निधि या सम्पत्ति संस्था के संस्थापकों अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों[२] के लाभ के लिए प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए।

६. यह अपने आयाधिक्य (या विसर्जन के पश्चात् बची सम्पत्ति) को अपने सदस्यों में नहीं बाँट सकती।

७. इसे धारा १२ए के अन्तर्गत पञ्जीकरण[३] कराना चाहिए।

यह छूट तब तक मिलती रहती है, जब तक जनसेवी संस्था इन निश्चित अनुबन्धों का उल्लंघन न कर दे।

आइये, इन्हें हम विस्तार से समझें :

१. लोकोपकारी उद्देश्य

लोकोपकारी अथवा पुण्यार्थ उद्देश्य[४] का सही अर्थ क्या है? जनसेवी संस्थाएँ प्रायः विकासात्मक दृष्टिकोण का अनुकरण करती हैं - क्या वह छूट पाने के योग्य हैं?

[१] आय कर अधिनियम सङ्गठन के स्वरुप से सम्बद्ध नहीं है। ये अनुबन्ध लोक न्यास, संस्थाओं, धारा-२५ कम्पनियों तथा सामान्य कम्पनियों द्वारा स्थापित पुण्यार्थ निधि, इत्यादि पर भी लागू होते हैं।

[२] अधिक जानकारी के लिए अकाउण्टेबल-५२ देखें।

[३] विस्तार से जानने के लिए अकाउण्टेबल- १५ देखें।

पुण्यार्थ या विकासात्मक?

आय कर अधिनियम 'जनसेवी संस्था' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं करता। इसी कारण सभी जनसेवी संस्थाओं को पुण्यार्थ सङ्गठन के रूप में ही छूट प्राप्त होती है। कुछ लोगों को इस बात से झुँझलाहट होती है।

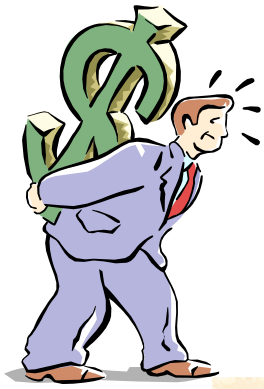

परन्तु, विधि में 'पुण्यार्थ' सङ्गठन' का तात्पर्य ऐसे सङ्गठन से है जिसके उद्देश्य पुण्यार्थ या धर्मार्थ हों। इसका अर्थ हुआ कि यह सङ्गठन निर्धन, रोगी, असहाय या अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता हो।

पुण्यार्थ सङ्गठन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने कार्यों में भी पुण्यार्थ रीतियों या पद्धतियों का पालन करे। पुण्यार्थ या धर्मार्थ पद्धतियाँ - अर्थात् राहत सामग्री, भोजन, कम्बल, इत्यादि का वितरण। इसके स्थान पर दृष्टिकोण विकासात्मक भी हो सकता है, जो कि आज-कल अधिकतर जनसेवी संस्थाओं द्वारा अधिमानित है।

इस अङ्क में हमने 'जनसेवी संस्था' शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि इन दिनों यह अधिक सरलता से समझा जाता है।

आय-वर्धन कार्यक्रमों का क्या होगा?

यदि कोई जनसेवी संस्था कुछ विक्रय करने लगे तथा लाभ कमाने लगे तो क्या होगा? या वह कोई व्यवसाय करने लगे? क्या वह अपनी छूट खो देगी?

नहीं। १९८४ में आयकर अधिनियम में जनसेवी संस्थाओं को लाभ अर्जन करने वाले कार्य करने की अनुमति देने के लिए परिवर्तन किया गया था। परन्तु इस पर दो प्रतिबन्ध भी हैं :-

१. व्यवसाय संस्था के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासङ्गिक हो।

२. व्यवसाय के लिए अलग खाता-बही[५] रखे जाएँ।

उस लाभ का क्या होगा जो ऐसे व्यवसाय द्वारा अर्जित होगा? इसे जनसेवी संस्था के सदस्यों के बीच नहीं बाँटा जा सकता। इसका प्रयोग जनसेवी संस्था के कार्यों के लिए होना चाहिए।

[४] आय कर अधिनियम की धारा २(१५) के अनुसार : "पुण्यार्थ उद्देश्य" में निर्धनों की सहायता, शिक्षा, आरोग्य दान एवं लोकोपयोगी कार्य सम्मिलित हैं। (भावानुवाद)

[५] रोकड़-बही तथा खाता-बही

२. न्यूनतम व्यय

आय कर अधिनियम के अन्तर्गत, जनसेवी संस्थाओं के लिऐ यह आवश्यक है कि वह अपनी वार्षिक आय का न्यूनतम ८५ प्रतिशत प्रतिवर्ष व्यय करें। इसे 'न्यूनतम व्यय अपेक्षा' कहा जाता है। अमेरिका में, न्यासों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सम्पत्ति का न्यूनतम ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष[६] बाँट दें।

दोनों प्रावधानों का उद्देश्य समान है - व्यवसायियों को अपना धन पुण्यार्थ निधियों में छुपा कर इकट्ठा करने से रोकना।

न्यूनतम ८५ प्रतिशत व्यय करें...

इस उपबन्ध का प्रावधान व्यवसायी गुटों द्वारा कर-छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए किया गया है। वह ऐसा कैसे करते हैं? मान लीजिए कि एक व्यवसायी गुट (जिसका नाम 'कमाई वाले' है) ने वर्ष में १०० करोड़ रुपये कमाए। इस पर आय कर बचाने के लिए उन्होने पूर्व में ही एक 'कर बचाव न्यास' नामक न्यास स्थापित कर ली थी। 'कर बचाव न्यास' को दिए दान पर १०० प्रतिशत की कटौती (धारा ३५ए सी) है। 'कमाई वाले' न्यास के लिए ६० करोड़ रुपये का दान दे देते हैं। इससे कर-योग्य आय घट कर ४० करोड़ रुपये रह जाती है। तथा आय-कर विभाग २१ करोड़ रुपयों से वञ्चित रह जाता है।

'कर बचाव न्यास' इस धन का क्या करेगा? साधारणतया वह उसे अपने बैङ्क में रखे रह सकता था।

परन्तु, क्योंकि अब यह आवश्यक है कि न्यास को अपनी आय का ८५ प्रतिशत व्यय करना होगा; इसलिए यह चतुराई नहीं चल पाएगी।

८५ प्रतिशत व्यय करने में असमर्थ?

सामान्य जनसेवी संस्थाओं को इस प्रावधान से कई समस्याएँ हो सकती हैं। यदि हम अपनी आय वर्ष के अन्त में प्राप्त करते हैं? या हम इसे वर्ष के मध्य में प्राप्त करते हैं तथा इसे वर्ष के अन्त तक व्यय करने में समर्थ नहीं हैं, तो क्या होगा?

आयकर अधिनियम में ऐसी स्थिति से बचने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम यह अनुमति देता है कि आप

[६] अमेरिका में, अधिकतर न्यासों के पास समुचित सम्पत्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें प्रत्येक वर्ष व्यय के लिए धन उद्ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। यह धन उस अक्षय-निधि से आता है जो वह अपने पास रखते हैं। इस कारण यहाँ पर अपेक्षा सम्पत्ति आधारित बन गई है, न कि आय- आधारित (जैसा भारत में हुआ है)।

ऐसी आय को अगले वर्ष में ले जाएँ तथा उसे तब व्यय करें। इसके लिए आपको आयकर निर्धारण अधिकारी को एक आवेदन[७] आयकर विवरण[८] के साथ जमा करना होगा।

वर्ष की अप्राप्त आय

कभी-कभी पूरी आय वर्तमान वर्ष में प्राप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम उस आय का ८५ प्रतिशत कैसे व्यय कर सकते हैं?

ऐसे में उस आय को तब व्यय किया जा सकता है, जब इसकी वास्तविक प्राप्ति हो। या इसे प्राप्ति से अगले वर्ष में भी व्यय किया जा सकता है।

> कानून के डण्डे से अपराध का कौशल नए-नए आविष्कार की सूझ ही पाता है। मन्द और परास्त तनिक नहीं हो पाता।
>
> –जैनेन्द्र कुमार

उदाहरण के लिए, किसी जनसेवी संस्था का खाता वर्ष २००३-०४ में ५,००,००० रुपये की आय दिखाता है। इसमें से केवल ३,००,००० रुपये ही वास्तविक रूप से प्राप्त हुए हैं। शेष राशि बाद में प्राप्य है। इसके कर की क्या स्थिति होगी?

कुल आय	५,००,०००
घटाएँ : १५ प्रतिशत, आगे ले जाने के लिए अनुज्ञप्त	-७५,०००
शेष	**४,२५,०००**
घटाएँ : वर्ष का वास्तविक व्यय	२,५०,०००
घटत	**१,७५,०००**
घटाएँ : अप्राप्त राशि	२,००,०००
कर योग्य आय	**शून्य**

अब मान लीजिए कि २,००,००० रुपये की राशि २००५-०६ में प्राप्त होती है। क्या इस पर कर लगेगा? नहीं! जनसेवी संस्था को यह अनुमति होगी कि वह इस राशि को उस वर्ष या आगामी वर्ष (२००६-०७) में व्यय करें।

उसे तब ही आयकर देना होगा जब वह २,००,००० रुपये की पूर्ण राशि उन दो वर्षों में व्यय नहीं कर पाती।

दीर्घ-कालिक परियोजना

कभी-कभी जनसेवी संस्थाएँ दातव्य संस्थाओं के साथ बहुवर्षीय अनुबन्ध करती हैं। यह ३-५ या अधिक वर्षों तक चल सकता है। और कभी-कभी दातव्य संस्थाएँ सम्पूर्ण परियोजना-राशि को पहले ही वर्ष में प्रदान कर देती हैं।

स्पष्ट है कि जनसेवी संस्था उस पूरे धन को प्रथम वर्ष या आगामी वर्ष में व्यय नहीं कर सकती। तब क्या होगा?

आय कर अधिनियम जनसेवी संस्थाओं को यह अनुमति देता है कि वह ऐसी आय को किसी निश्चित परियोजना के लिए संगृहीत कर लें। वह उसे अगले पाँच वर्षों तक या उससे पहले व्यय कर सकती हैं।

इस हेतु जनसेवी संस्था को एक सङ्कल्प पारित करना होगा। साथ में प्रारूप-१० भी भरना होगा। इन दोनों (सङ्कल्प और प्रारूप) को आय कर विवरण के साथ जमा करना होगा।

संगृहीत निधि में से अनुदान नहीं।

वित्तीय वर्ष २००२-०३ में एक नया उपबन्ध आया है। इसके अनुसार, संगृहीत निधि सीधे निर्धारित जनसेवी संस्था को ही व्यय करनी होगी। वह इसका प्रयोग अन्य जनसेवी संस्थाओं को अनुदान देने में नहीं कर सकती। यदि आप अन्य जनसेवी संस्थाओं को अनुदान देते हैं, तो उसी वर्ष की प्राप्ति से या पिछले वर्ष से लाए गए शेष में से देंगे। अथवा ऐसा दान आयकर के लिए व्यय नहीं माना जाएगा।

यह विशिष्ट अनुबन्ध क्यों लाया गया? इसका कारण आपको "लाभ-ही-लाभ' नामक कहानी (पृ. ४) पढ़ने पर पता चलेगा।

मूलधन (कॉर्पस) के लिए दान

जब आप 'मूलधन के लिए दान' प्राप्त करते हैं तब क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं 'मूलधन' व्यय करने के लिए नहीं, अपितु निवेश करने के लिए होता है। इस निवेश से जो आय प्राप्त होती है, उसका ही प्रयोग संस्था के विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

[७] साधारण पत्र पर या संस्था के पत्रशीर्षकः पर

[८] यदि आयकर विवरण जमा करने में विलम्ब हो जाता है तो आप आवेदन स्वतन्त्र रूप से जमा कर सकते हैं।

आय कर अधिनियम आपको अनुमति देता है कि आप मूलधन के लिए प्राप्त दान को स्थाई रूप से एक ओर रखें। अतः ऐसा दान आय से अलग कर दिया जाता है। इस कारण, ऐसा दान जो 'मूलधन'[१] की तरह प्राप्त हुआ है, उस पर 'न्यूनतम व्यय अपेक्षा' लागू नहीं होती।

सम्बन्धित लेखा-योग

१५ : आय कर पञ्जीयन

१६ : आय कर विवरण

५२: विशिष्ट व्यक्ति का लेन-देन तथा आयकर

६७ : मूलधन (कॉर्पस)

लाभ-ही-लाभ ...?

पृष्ठ २ पर हमने देखा कि कैसे 'कमाई वालों' ने एक न्यास "कर बचाव न्यास" को ६० करोड़ रुपये का दान दिया तथा बहुत सारा कर बचाया। किन्तु जब से शासन द्वारा यह उपबन्ध पारित किया गया है तब से अपनी आयकर छूट बचाने के लिए न्यास को आय का ८५ प्रतिशत व्यय करना ही था।

क्या कमाई वालों के लिए यह कोई समस्या बना? नहीं। उन्होंने इस निधि को विभिन्न विशिष्ट कार्यों के लिए संगृहीत किया - जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य। उसके बाद वह उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे।

शीघ्र ही एक उत्साही शिक्षाविद् एवं व्यवसायी आए, जिनका नाम था "प्राध्यापक"। वह एक लाभ अर्जित करने वाला विद्यालय स्थापित करना चाहते थे। श्री प्राध्यापक के पास विद्यालय बनाने के लिए बहुत धन था, परन्तु इसमें से अधिकतर धन का लेखा नहीं हुआ था (अर्थात उस पर कर चोरी किया गया था)। इसलिए वह कमाई वालों के पास गये। कमाई वालों ने श्री प्राध्यापक को विद्यालय भवन बनाने के लिए २ करोड़ रूपये का अनुदान चेक द्वारा दिया। श्री प्राध्यापक ने भी उन्हें एक जोड़ी सूटकेस में २ करोड़ ४ लाख रुपये रोकड़ भर कर वापस कर दिये।

'कमाई वाले' इन रुपयों का क्या करेंगे? वह सम्भवतः इसे अपने परिवार में होने वाले विवाह में अथवा स्विट्ज़रलैण्ड में छुट्टियाँ बिताने में व्यय करेंगे।

संगृहीत निधि में से अनुदान देने पर रोक लगा कर शासन यह आशा करता है कि वह इस प्रथा को रोक सकेगा।

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। **लेखा·योग** के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - **लेखा·योग** के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

लेखा·योग सम्पुटिका - जनसेवी संस्थाओं के लेखा तथा इससे सम्बन्धित छोटी-छोटी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया इस पते पर ई-प्रेष करें।

accountaid-subscribe@topica.com.

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

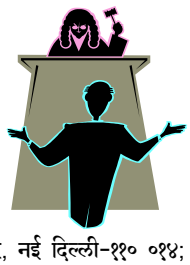

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com.

© AccountAid™ India राष्ट्रीय शक संवत् चैत्र १९२५; मार्च २००४ ईस्वी

---

[१] कुछ अन्तर-राष्ट्रीय दाता, विशेषतः अमेरिकन संस्थाएँ, इसके लिए 'अक्षयनिधि' संज्ञा का प्रयोग करते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से यह 'मूलधन'(कॉर्पस) के समान है। परन्तु कभी-कभी यह शब्द कर-निर्धारण के समय समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए, यदि सम्भव हो, तो दाता से यह कहें कि वह 'अक्षय निधि' अनुदान देते समय 'मूलधन / काय / कॉर्पस' शब्द का ही प्रयोग करें।